भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का भावी प्रयोग

सुमन बेरी | नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ईमेल: vch-niti@gov.in

भारत एक ऐसे अनूठे चौराहे पर खड़ा है जहां उसके अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने की अच्छी खासी संभावना है। अपने देश में कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की बड़ी संख्या है। इसके बल पर, राष्ट्र में अपनी अर्थव्यवस्था का काफी हद तक विस्तार करने की क्षमता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में, ऐसे रोज़गार का अनुमान किया गया है, जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था को आने वाले वर्षों में सृजित करने की आवश्यकता है। कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी 2023 में 45.8 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर 2047 में एक-चौथाई रह जाने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में औसतन लगभग 8 मिलियन रोज़गार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है।

भारत अपने जनसांख्यिकीय परिवर्तन के मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। इसकी कार्यशील आयु वाली आबादी (15 वर्ष से 64 वर्ष की आयु के बीच) का हिस्सा 2011 में 59 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 63 प्रतिशत हो गया और अगले 15 वर्षों में इसके स्थिर रहने की उम्मीद है।

भारत को इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (बाजार विनिमय दरों पर मापन) बनने की उम्मीद है। सरकार के भीतर चर्चाओं (नीति आयोग द्वारा समर्थित) ने यह निर्धारित किया है कि भारत को प्रति व्यक्ति आय 18000 डॉलर प्रति वर्ष के साथ 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था (2047 की कीमतों पर) बनने का प्रयास करना चाहिए। घरेलू अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, भारत की चुनौती अगले 23 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को छह गुना बढ़ाना है। भारत ने पिछले तीन दशकों में वर्ष दर वर्ष आधार पर औसत 6 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर्ज की है।

हमारी श्रम शक्ति इस चुनौती के केंद्र में है। तीव्र और बेहतर विकास का मतलब है कि अधिक से अधिक कर्मचारी ज्यादा वेतन पर बेहतर काम कर पाएंगे। इसके लिए बेहतर कौशल से सुसज्जित कर्मचारियों की जरूरत होगी। उन्हें प्रतिस्पर्धी फर्मों द्वारा काम पर रखा जाएगा और जो आपूर्ति शृंखलाओं के माध्यम से वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ पाएंगे।

रोज़गार को लेकर मौजूदा बहस को ध्यान से समझने के लिए जरूरी है कि हम अंतर्निहित मापन और परिभाषा संबंधी मुद्दों पर ध्यान दें। वैश्विक डेटाबेस के साथ भारतीय परिदृश्य का विश्लेषण करने में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रोज़गार और बेरोज़गारी विषय के लिए, रोज़गार की दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। पहली परिभाषा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की रोज़गार की लगभग सार्वभौमिक परिभाषा- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) या "क्या आपने पिछले हफ्ते कम से कम 1 घंटा काम किया।" दूसरी परिभाषा शायद भारत के लिए अनूठी हो: सामान्य स्थिति (यूएस)[1] या "पिछले साल छह महीने से अधिक समय तक आपका प्राथमिक और द्वितीयक रोज़गार क्या था?"

भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए 'सामान्य स्थिति' रोज़गार का ज्यादा उपयुक्त संकेतक है, जहां कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा फसल-कृषि में लगा हुआ है। इसका सीधा-सा कारण यह है कि काम का बृहद क्षेत्र कृषि रोज़गार की मौसम-विशिष्ट प्रकृति को बेहतर ढंग से दर्शाता है। परिभाषा संबंधी बारीकियां इस मुद्दे के बारे में हमारी धारणा में महत्वपूर्ण अंतर पैदा करती हैं।

रिकॉर्ड

बेहतर रोज़गारों पर व्यापक तौर पर जोर के लिए आज की आधार रेखा काफी सकारात्मक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए गए डेटा का अनुमान है कि 2017-18 से 2021-22 तक 8 करोड़ (80 मिलियन)[2] से अधिक रोज़गार के अवसर पैदा हुए। यह औसतन प्रति वर्ष 2 करोड़ (20 मिलियन) से अधिक है। इसी तरह, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)[3] के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान, श्रम बल में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की तुलना में अधिक रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप बेरोज़गारी दर में लगातार कमी आई है। यह रोज़गार पर सरकारी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव का एक स्पष्ट संकेतक है।

जुलाई 2023-जून 2024 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)[4] 60.1 प्रतिशत थी। जुलाई 2022-जून 2023 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कुल एलएफपीआर (सामान्य स्थिति) 57.9 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2023-जून 2024 के दौरान 60.1 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह, सामान्य स्थिति में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)[5] जुलाई 2022-जून 2023 के दौरान 56.0 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2023-जून 2024 के दौरान 58.2 प्रतिशत हो गया है।

संरचनात्मक आयाम

व्यवहारिक आयाम भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है। आइए आर्थिक गतिविधि की संरचना में बदलाव पर विचार करें। भारत में औद्योगीकरण की शुरुआत धीमी रही है और इसलिए पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त श्रमिकों के अवशोषण की दर धीमी रही है। 1980 के दशक के बाद गैर-कृषि गतिविधियों के विस्तार ने गति पकड़ी। इससे सकल घरेलू उत्पाद में तेजी आई। किंतु, आर्थिक परिवर्तन जनसांख्यिकीय परिवर्तन के साथ तालमेल नहीं रख सका। हालांकि, पिछले दशक में रोज़गार-जनसंख्या अनुपात में सुधार देखा गया है।

हालांकि यह प्रगति है, लेकिन भारत और उसके समकक्ष देशों का पिछला प्रदर्शन बताता है कि आगे और सुधार संभव है। ऐसे में अगर इसका लाभ उठाया जाए, तो यह विकास का एक इंजन बन सकता है।

दूसरा, अधिकांश आर्थिक मॉडलों में, वास्तविक मजदूरी श्रम उत्पादकता से जुड़ी होती है। इसका यह अर्थ है कि वहीं

काम कर रहे लोगों द्वारा कम किया जा सकता है। बढ़ती श्रम उत्पादकता आम तौर पर दोनों को दर्शाती है। इसे अर्थशास्त्री बेहतर मानव पूंजी (बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर कौशल, साथ ही बेहतर कार्य व्यवहार) और प्रौद्योगिकी कहते हैं। स्पष्ट रूप से भारत के अमृत काल में, भारत को बढ़ती आय और अधिक रोज़गार दोनों का लक्ष्य रखना चाहिए। यह एक प्रेरणा के साथ-साथ तेज आर्थिक विकास का स्रोत भी है। अंततः एक ऐसी रणनीति के लिए अनिवार्य है, जिसका लक्ष्य भारत के मानव संपदा का सर्वोत्तम इस्तेमाल करना है।

श्रम उत्पादकता का रिकॉर्ड

यदि हम बेरोज़गारी की समस्या का समाधान करने की बात करते हैं तो उत्पादकता और आर्थिक विकास दो सहवर्ती कारक हैं। भारत का दीर्घकालिक उत्पादकता रिकॉर्ड अच्छा है। यह वही है जो पिछले 6 प्रतिशत विकास के रिकॉर्ड को चिह्नित करता है। उत्पादन वृद्धि का एक अच्छा हिस्सा आदर्श रूप से उत्पादकता में वृद्धि के कारण होना चाहिए। इसलिए रोज़गार वृद्धि को उत्पादन वृद्धि के साथ तालमेल रखने की आवश्यकता नहीं है और न ही होनी चाहिए। इसलिए विकास में तेजी लाने की आवश्यकता है।

मुद्दा आधारित क्षेत्र

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, उन रोज़गारों का अनुमान देता है, जिन्हें अर्थव्यवस्था को वर्षों में सृजित करने की आवश्यकता है। कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी 2023 में 45.8 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर 2047 में एक-चौथाई रह जाने के साथ, यह अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में औसतन लगभग 8 मिलियन रोज़गार के अवसर सृजित करने की आवश्यकता है।

महिलाएं और युवा

भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर एक सकारात्मक संरचनात्मक बदलाव की पुष्टि करती है। महिला कार्यबल भागीदारी (एफडब्ल्यूएफपी) दर में 2019 में 24.5 प्रतिशत से 2023 में 37.0 प्रतिशत तक की वृद्धि काफी महत्वपूर्ण है, भले ही यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में हो, जिसमें स्वयं के खाते और अवैतनिक पारिवारिक कार्य शामिल हैं। हालांकि महिलाओं की भागीदारी दर में तेजी लाना एक प्रमुख कारक है, जिस पर विकास और समावेशन दोनों के लिए नीतिगत तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे युवाओं का मामला भी ऐसा ही है। हम अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार प्रवेश करने वाले या युवाओं में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति एक व्यापक मुद्दा है। श्रम बाजार में नए प्रवेशकों के आयु वर्ग के लिए, बेरोज़गारी दर 2017-18 में 17.8 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 10.0 प्रतिशत हो गई है (पीएलएफएस, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय)।[6] पहली बार प्रवेश करने वालों के बीच बेरोज़गारी के आंकड़े एक बड़ी चिंता का विषय हैं। पिछले कुछ वर्षों में राज्यों में बेरोज़गारी की दर में भारी गिरावट आशाजनक प्रवृत्ति दिखाती है।

वर्तमान श्रम बल की शैक्षिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए कौशल की कमी का मुद्दा भी ध्यान का एक अतिरिक्त क्षेत्र होगा।

युवाओं और महिलाओं के मुद्दे पर बजट में प्रावधान

रोज़गार प्रोत्साहन और कौशल विकास वर्तमान केंद्रीय बजट के मूल में हैं। रोज़गार सृजन के लिए तीन योजनाएं पैकेज का हिस्सा हैं। इसमें पहली बार नए प्रवेशकों के लिए मजदूरी सब्सिडी शामिल है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने और महिला श्रम शक्ति की भागीदारी में सुधार करने के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना, क्रेच की स्थापना, महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम आयोजित करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएचजी/उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने सहित कई प्रमुख पहलों को बजट में शामिल किया गया है।

फर्मों का छोटा होना

भारत में फर्मों का छोटा होना एक और चिंता का विषय है। भारतीय फर्म रोज़गार के मामले में छोटी होती हैं, धीमी गति से बढ़ती हैं। इतना ही नहीं, यह न केवल औद्योगिक पश्चिम बल्कि चीन और मैक्सिको जैसी अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की फर्मों की तुलना में कम उत्पादक होती हैं। भारत में फर्मों का छोटा आकार और उनसे जुड़ी कम उत्पादकता उनके श्रमिकों की मांग को सीमित करती है। इन पहलों को आगे बढ़ाने या लाभकारी रचनात्मक विनाश के लिए लक्षित दृष्टिकोण के साथ-साथ एमएसएमई के प्रसार को बढ़ावा देना आवश्यक है।

विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में स्थायी उद्यमों का विकास और विविधीकरण, भारत में लचीले आर्थिक सुधार

और निरंतर रोज़गार सृजन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण है। नवीनतम उपलब्ध जानकारी[7] के अनुसार, 2015-2016 में भारत में 63.4 मिलियन असंगठित गैर-कृषि एमएसएमई थे (एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, 2022)। उद्यमों का एक बड़ा हिस्सा-99 प्रतिशत से अधिक-सूक्ष्म इकाइयां हैं।

हालांकि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह क्षेत्र उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करता है। इस तरह की प्रवृत्ति के निरंतर प्रचलन ने एमएसएमई क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और उत्पादकता वृद्धि को गंभीर रूप से बाधित किया है। वास्तव में, इसने एमएसएमई और संगठित क्षेत्र की बड़ी फर्मों के बीच उत्पादकता के विशाल अंतर को बढ़ा दिया है। इससे उत्पादकता और आय असमानताओं में वृद्धि हुई है। वर्तमान केंद्रीय बजट इस चेतावनी की पहचान करता है और एमएसएमई को उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में चिह्नित करता है, जिनमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

औपचारिकीकरण

समय के साथ रोज़गार की स्थिति में सुधार के बावजूद, रोज़गार काफी हद तक अनौपचारिक और कम उत्पादकता वाली बनी हुई है। 90 प्रतिशत से अधिक रोज़गार अनौपचारिक हैं, और 83 प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। यह 2000 में 90 प्रतिशत के करीब था।

विशेष रूप से नियमित श्रमिकों के आकस्मिक और निचले तबके के मजबूत वेतन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना, औपचारिकीकरण के लिए सक्रिय नीतियां और श्रम उत्पादकता को बढ़ावा देना रोज़गार की गुणवत्ता में सुधार करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

अनौपचारिकता का मुद्दा और गैर-कृषि रोज़गार की आवश्यकता

रोज़गार की संरचना में अनौपचारिकता का प्रभुत्व श्रमिकों के क्षेत्रीय वितरण में स्पष्ट है। रोज़गार पैटर्न का झुकाव अभी भी कृषि की ओर है, जिसमें लगभग 46.6 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत हैं (2019 में 42.4 प्रतिशत की तुलना में)। इसके लिए गैर-कृषि रोज़गार के सृजन में तेजी लाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है। उभरते श्रम बाजार संकट के किसी भी समाधान के लिए निजी विनिर्माण फर्मों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। निर्यात को प्रोत्साहित करना इस लक्ष्य तक पहुंचने का एक भी विश्वस्त तरीका होगा।

राज्यों की भूमिका

श्रम और रोज़गार एक राज्य स्तरीय मुद्दा है। इसलिए हम रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने में भारतीय राज्यों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की दरों में अंतर के कारण आर्थिक विकास की प्रकृति और भविष्य की संभावना भारत के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होगी। देश के पूर्व और उत्तर के कुछ राज्यों, विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में युवाओं की बढ़ती आबादी एक बड़ा आर्थिक अवसर खोलती है। रोज़गार के इच्छुक लोगों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने वाले नए अवसर पैदा करना एक गंभीर नीतिगत चुनौती भी है। साथ ही, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए श्रम-प्रधान क्षेत्रों के आधार पर भविष्य के विकास की सीमाएं हैं, जिनकी आबादी वृद्ध होती जा रही है। यहां राज्यों को अनुकूल नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। नीति-निर्माण को राज्यों में आंतरिक प्रवास के पैमाने को ध्यान में रखते हुए देश के लिए एक एकीकृत श्रम बाजार का निरंतर लक्ष्य रखना चाहिए।

टिप्पणियां

भारत एक ऐसे अनूठे चौराहे पर खड़ा है जहां उसके अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने की अच्छी खासी संभावना है। अपने देश में कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की बड़ी संख्या है। इसके बल पर, राष्ट्र में अपनी अर्थव्यवस्था का काफी हद तक विस्तार करने की क्षमता है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें ऐसी केंद्रित रणनीतियों की दिशा में काम कर रही हैं, जो इस जनसांख्यिकीय क्षमता को एक आर्थिक वास्तविकता में बदल दें, जो भारत को 2047 तक एक विकसित समाज और वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दे। ❑

अंतिम टिप्पणियां

1. यह मुख्य स्थिति पर आधारित है यानी आपका मुख्य रोज़गार क्या था (पिछले वर्ष में छह महीने से अधिक) और द्वितीयक स्थिति। द्वितीयक स्थिति उन उत्तरदाताओं से पूछी जाती है जो पिछले वर्ष में बेरोज़गार थे या श्रम बल में नहीं थे और कम से कम 30 दिनों के लिए कार्यरत थे। इन दोनों का संयोजन सामान्य स्थिति (यू.एस.) है।
2. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2031529
3. 2017-2023 के दौरान, प्रधान रोज़गार में 80 मिलियन से अधिक, यानी सालाना 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो इसी अवधि के दौरान अनुमानित जनसंख्या वृद्धि से काफी अधिक है। वार्षिक पीएलएफएस डेटा से पता चलता है कि बेरोज़गारी दर (15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए) 2017-18 में 6.0 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.2 प्रतिशत हो गई है।
4. श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर): एलएफपीआर को जनसंख्या में श्रम बल (अर्थात् काम करने वाले, काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध) में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
5. श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर): डब्ल्यूपीआर को जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
6. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2038699
7. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@sro-new_delhi/documents/publication/wcms_873755.pdf